

## न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 38/2018

राजस्थान सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर

बनाम

.....प्रार्थी

हमजा सीक शॉप सेन्टर के सामने, गेट नं. 04 से पहले, लंगरखाना गली, अजमेर जरिये  
अब्दुल हमिद पुत्र श्री अब्दुल्ला, निवासी-लंगरखाना गली, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपरिस्थित: श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर — पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 27.06.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 12.03.2018 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग/घरेलू सिलेण्डर के अवैध रूप से गैस रिफिलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी मय संयुक्त जांच दल द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरुपयोग करते हुए पाये जाने पर अप्रार्थी के व्यावसायिक स्थल से एक घरेलू गैस सिलेण्डर

| S.NO. | S.R.NO. | CO.        | T.W.  | G.W.  | N.W.GAS | TYPE     |
|-------|---------|------------|-------|-------|---------|----------|
| 1     | 034289  | Bharat gas | 16 kg | 20 kg | 4 kg    | Domestic |

को कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरुपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाइ एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः एक घरेलू सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर चन्द्रयान गैस ऐजेन्सी के कार्मिक श्री अयुब खान पुत्र श्री कयुम खान निवासी-फकीराखेडा, किशनपुरारोड, अजमेर को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपरिस्थित नहीं आये, कोई जवाब या साक्ष्य, सबूत प्रार्थना पत्र के खण्डन में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरिस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।



जिला कलक्टर  
अजमेर

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया दिनांक 12.03.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है, जो व्यवसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जोराल आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत फरमाया जावे।

लिया गया घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावे। हमने पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं है। जरिये जवाब/दस्तावेजी साक्ष्य उनके द्वारा प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन भी नहीं किया गया है। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैध कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जोराल लिया गया एक घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि में जमाने उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.06.2018 को सरे



(आरती डोगरा)  
जिला कलेक्टर  
अजमेर